फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड सैकिण्ड फ्लोर मानउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, एच.एस.बी.सी. बैंक के सामने, जयपुर जरिये अधिकृत अधिकारी श्री अक्षय खण्डेलवाल

–प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्री अशोक कुमार पहाड़िया पुत्र श्री कालुराम पहाडिया, नियर अरविन्द स्टेडियम, कलालवाटी रोड़ राजनगर/लापस्या खेडा, एन.एच. 758, राजसमंद/अरविन्द स्टेडियम रोड,कलालवाटी, राजनगर/लापस्या खेड़ा, एन.एच. 758, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2. श्रीमती पारस देवी पत्नि श्री अशोक कुमार पहाडिया, नियर अरविन्द स्टेडियम, कलालवाटी रोड़ राजनगर/लापस्या खेडा, एन.एच. 758, राजसमंद/अरविन्द स्टेडियम रोड, कलालवाटी, राजनगर/लापस्या खेड़ा, एन.एच. 758, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
3. श्री धर्मराज पैट्रोलियम जरिये प्रोपराईटर श्री अशोक कुमार पहाडिया नि. लापस्या खेड़ा, एन.एच. 758, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

–– अप्रार्थीगण – ऋणी

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 73 /2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 02/09/2022 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड सैकिण्ड फ्लोर मानउपासना प्लाजा, सरदार पदेल मार्ग, सी – स्कीम, एच.एस.बी.सी. बैंक के सामने, जयपुर ने दिनांक 14.07.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने बतौर ऋणी प्रार्थी आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड से दिनांक 27.02.2020 को 15,88,000/– अक्षरे पन्द्रह लाख अठासी हजार रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल संपति को प्रार्थी के पक्ष में रहन रखा है और उस पर निर्मित भवन एवं ढॉचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :– **बंधक सम्पत्ति का विवरण** :– श्री अशोक कुमार पहाड़िया पुत्र श्री	

कालुराम पहाडिया एवं श्रीमती पारस देवी पत्नि श्री अशोक कुमार पहाडिया नियर अरविन्द स्टेडियम, कलालवाटी रोड़ राजनगर में स्थित सम्पत्ति (1) ग्राम लापस्या खेडा, तहसील रेलमगरा – एन.एच. 758 पर स्थित संपरिवर्तित प्लाट कुल क्षेत्रफल 1942.49 वर्गमीटर, जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्वः सरकारी खाली भूमि, पश्चिमः पेट्रोल पम्प, उत्तरः खाली भूमि श्री छोगालाल, दक्षिणः एन.एच.–758 (2) पट्टा नंबर 328(4) मिसल नंबर 47/73–74,प्लाट नंबर 04–ए, वार्ड नं. 24 बापी ग्राम किशोर नगर, राजनगर तहसील राजसमंद कुल क्षेत्रफल 610 वर्गफीट, जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है किः पूर्वः रास्ता, पश्चिमः श्री नाथूलाल का खेत, उत्तरः प्लाट नं. 05 दक्षिणः प्लाट नं. 3 है। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यक्तिक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 09.10.2021 को उक्त ऋण खाते को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 12,53,240/– अक्षरे बारह लाख तरेपन हजार दो सौ चालीस रूपये दिनांक 28.03.2022 तक देय हैं व दिनांक 28.03.2022 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी कम्पनी ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक 08.04.2022 को लिखा नोटिस दिनांक 13.04.2022 को अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । जिसकी प्राप्ति के बाद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड, जयपुर को नहीं किया गया हैं। अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड चरण संख्या 2 में वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने के अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत दिनांक 08.04.2022 को लिखा नोटिस दिनांक 13.04.2022 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को उनके पते पर दिनांक 26.04.2022 को तामिल होने के बावजुद भी अप्रार्थीगण/ ऋणी, द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरणः श्री अशोक कुमार पहाड़िया पुत्र श्री

कालुराम पहाडिया एवं श्रीमती पारस देवी पत्नि श्री अशोक कुमार पहाडिया नियर अरविन्द स्टेडियम, कलालवाटी रोड़ राजनगर में स्थित सम्पत्ति (1) ग्राम लापस्या खेडा, तहसील रेलमगरा–एन.एच. 758 पर स्थित संपरिवर्तित प्लाट कुल क्षेत्रफल 1942.49 वर्गमीटर, जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि:–पूर्वः सरकारी खाली भूमि, पश्चिमः पेट्रोल पम्प, उत्तरः खाली भूमि श्री छोगालाल, दक्षिणः एन.एच.–758 (2) पट्टा नंबर 328(4) मिसल नंबर 47/73–74,प्लाट नंबर 04–ए, वार्ड नं. 24 बापी ग्राम किशोर नगर, राजनगर तहसील राजसमंद कुल क्षेत्रफल 610 वर्गफीट, जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि: पूर्वः रास्ता, पश्चिमः श्री नाथूलाल का खेत, उत्तरः प्लाट नं. 05 दक्षिणः प्लाट नं. 3 स्थित है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द